भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3345** जिसका उत्तर

सोमवार, 23 **मार्च**, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक) को दिया जाना है

गंगा नदी पर बड़े ट्रांसपोर्ट कार्गो का प्रचालन

3345. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जलमार्ग से माल ढुलाई हेतु बिहार की गंगा नदी पर बड़े ट्रांसपोर्ट कार्गो चलाए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गंगा नदी में ऐसे कार्य चल रहे हैं जिससे ट्रांसपोर्ट कार्गो के प्रचालन में कोई असुविधा न हो; और

(घ) यदि हां, तो किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्लूएआई) विश्व बैंक की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के हल्दिया-वाराणसी जलखंड पर नौचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए 5369 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्धेश्य 1500-2000 डेड वेट टनेज (डी डब्ल्यू टी) के आवागमन को सक्षम करना है। जेएमवीपी के तहत लगभग 1800 करोड़ रूपए के मूल्य वाली परियोजनाएं वास्तविक रूप से शुरू कर दी गई हैं।

(ग) और (घ): जेएमवीपी के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर किए जाने वाले कार्यों में वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया पर बहुउद्धेशीय टर्मिनलों का निर्माण, रो-रो टर्मिनलों फरक्का में नेविगेशनल लॉक, चैनल मार्किंग प्रणाली का विकास, एकीकृत जलयान मरम्मत एवं रखरखाव सुविधाएं, डिफ्रेरेन्शियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस), नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस), दिन एवं रात्रि के संबंधित नौचालन सहायताएं, स्लिपवे, बंकरिंग सुविधाएं, नदी प्रशिक्षण एवं नदी संरक्षण कार्य आदि शामिल है जिनका अंतिम उद्देश्य गंगा पर सुरक्षित नौवहन एवं नौचालन शुरू करना है।

*****